प्रेस नोट दिनांक 05.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

मंदिर से घंटा चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश; भारी मात्रा में पीतल व चोरी की बाइक सहित 01 अंतर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा मंदिर से घंटा चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह से संबंधित 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अमरनाथ तिवारी के कब्जे से चोरी की 01 अदद मो०सा0 स्प्लेंडरप्लस व करीब 50 किलो घंटा पीतल का, घण्टा चोरी बिक्री का 1850 रूपए नगद एवं 01 अदद लोहे का कटर के साथ गिरफ्तार किया गया-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद सुल्तानपुर, जनपद अमेठी, जनपद प्रतापगढ़ में हत्या, लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर, विस्फोटक पदार्थ, आबकारी अधिनियम जैसे लगभग 10 जघन्य अपराध पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 इन्द्रेश कुमार प्रजापति मय हमराह उ0नि0 चित्तर सिंह, का0 नरेश कुमार, का0 विष्णु शर्मा,का0 बोद्ध प्रकाश द्वारा 10 वर्षीय गोवध अधिनियम के अभियुक्तो के सत्यापन, वांछित अभियुक्तों व एनबीडब्ल्यू अभियुक्तो की गिरफ्तारी ,देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति के दौरान 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अमरनाथ तिवारी पुत्र छोटई तिवारी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम खनियापुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहा के पास से चोरी की 01 अदद मो0 सा0 स्प्लेंडरप्लस व करीब 50 किलो घंटा पीतल का, घण्टा चोरी बिक्री का 1850 रूपए नगद एवं 01 अदद लोहे का कटर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अमरनाथ तिवारी के कब्जे से चोरी की 01 अदद मो०सा0 स्प्लेंडरप्लस व करीब 50 किलो घंटा पीतल का, घण्टा चोरी बिक्री का 1850 रूपए नगद एवं 01 अदद लोहे का कटर बरामद की गई। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 66/2026 धारा 317 (2)/317 (4)/318 (4)/338/336 (3)/340(2) बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभुयुक्त ने पूछताछ में बताया कि इस बोरी में पीतल का घंटा है, जिसका वजन करीब 50 किलो है, जिसे हम लोग डीह रायबरेली के किसी देवस्थान से चोरी करके काटकर लेकर आ रहे हैं। और इसे हम लोग सुल्तानपुर के ठठेरी मंडी में बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। पीतल का यह घंटा हम लोग 500-600 रुपये प्रति किलो में बेचते हैं और बिक्री का जो पैसा मिलता है उसे हम लोग आपस में बांट लेते हैं। 1850 रूपए नगद है रुपये भी उसी घंटा चोरी के बिक्री का है। तथा हम लोग कई बार अलग-अलग जगहो से पीतल के घंटे को काटकर उसकी बिक्री भी किये है।

बरामद हुई, मोटर साइकिल से उतरकर भागने वाले दोनों व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो बताया गया कि वे मेरे साथी हैं तथा जो गाड़ी चला रहा था उसमें पहले व्यक्ति का नाम अरविंद कुमार गुप्ता पुत्र रामनरेश गुप्ता उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम मानापट्टी साकर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी है। तथा दूसरा जो मेरे गांव के बगल का ही है उसका नाम रमेश तिवारी पुत्र सूरज लाल तिवारी उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम रामापुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ का है। यह मोटरसाइकिल हम तीनों लोगों ने कालिकन मंदिर से कुछ दिन पहले चोरी किया था। तथा इसी मोटरसाइकिल से हम लोग दिन में, जहां पर भी घंटा बंधा होता था घूम-घूम कर देख लेते थे,और रात में निकल कर वहां से घटा काट लाते थे। तथा मोटरसाइकिल में जो नम्बर प्लेट लगी है वो हम तीनों ने बदल दी थी इस मोटरसाइकिल का सही नम्बर कुछ और था जो मुझे याद नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अमरनाथ तिवारी पुत्र छोटई तिवारी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम खनियापुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधित इतिहास-
अन्तर्जनपदीय अमरनाथ तिवारी पुत्र छोटई तिवारी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम खनियापुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 162/2015, धारा 302/34/394 भा0 द0 स0, थाना कोतवाली नगर, जनपद सुल्तानपुर।
02. मु0अ0सं0 488/2015, धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना कोतवाली नगर, जनपद सुल्तानपुर।
03. मु0अ0सं0 18/2026 धारा 110, 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना कूरेभार, जनपद सुल्तानपुर।
04. मु0अ0सं0 119/2024, धारा 380, 401, 411, 457 भा0 द0 सं0, थाना मुंशीगंज, जनपद अमेठी।
05. मु0अ0सं0 158/2024, धारा 305, 317(2), 331(4) बीएनएस, थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी।
06. मु0अ0सं0 157/1988, धारा 457/380/411 भा0 द0 सं0, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0 219/1990, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
08. मु0अ0सं0 16/1992, धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
09 . मु0अ0सं0 38/2010, धारा 380/411 भा0 द0 सं0 थाना धम्भौर, जनपद सुल्तानपुर।
10. मु0अ0सं0 66/2026 धारा 317 (2)/317 (4)/318 (4)/338/336 (3)/340(2) बीएनएस

बरामदगी-
01 अदद मो०सा0 स्प्लेंडरप्लस व करीब 50 किलो घंटा पीतल का, घण्टा चोरी बिक्री का 1850 रूपए नगद एवं 01 अदद लोहे का कटर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 इन्द्रेश कुमार प्रजापति मय हमराह उ0नि0 चित्तर सिंह, का0 नरेश कुमार, का0 विष्णु शर्मा,का0 बोद्ध प्रकाश थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।